



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ) प्रेस नोट

- बांसवाड़ा में ग्राम विकास अधिकारी 16,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 29 जनवरी बुधवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी बांसवाड़ा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भापोर पंचायत समिति व जिला बांसवाड़ा को 16,000/- रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डा. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की चौकी बांसवाड़ा को एक शिकायत इस आशय की मिली की परिवादी के पिता अटल सेवा केन्द्र भापोर में ठेके के माध्यम से सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते हैं उसके पिताजी को पिछले पांच माह का वेतन भुगतान नहीं हुआ वेतन बिल बनाने के एवज में ग्राम पंचायत भापोर के श्री प्रभुलाल पारगी, ग्राम विकास अधिकारी ने 25,000 रुपये की मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर दिनांक 20.01.2025 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराया गया। जिसमें आरोपी द्वारा परिवादी से 20,000/- रुपये रिश्वत राशि लेने को सहमत हुआ तथा 4,000/- रुपये वक्त सत्यापन ग्रहण किए गए।

जिस पर एसीबी बांसवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ऋषिकेश मीना के नेतृत्व में आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री प्रभुलाल पारगी, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भापोर पंचायत समिति व जिला बांसवाड़ा को बकाया 16,000/-रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।